



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234322
CG-DL-E-21032022-234322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1185]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943

No. 1185]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

का.आ. 1225(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में एनएच-179ए के सेलम तिरुपथुर-वनियामबाड़ी रोड के किमी 80/0 से किमी. 125/0 तक कैरिजवे को मजबूत करने सहित मौजूदा 2 लेन को 4 लेन पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH179A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिसर, कृष्णागिरी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH179A के कि.मी. 91.2 से 92 तक	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	उठंगरै	1 इलाचियुर

[फा. सं. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/01/2019-20]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2022

S.O. 1225(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Widening of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulder including strengthening of carriageway from Km. 80/0-Km. 125/0 of Salem Tirupathur - Vaniyambadi Road of NH-179A in the district of KRISHNAGIRI in the State of Tamil Nadu.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH179A in the State of TAMIL NADU.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer, Krishnagiri	91.2KM To 92KM	TAMIL NADU	KRISHNAGIRI	Uthangarai	1 Elachiyur

[F. No. CE-RO/Chennai/MoRTH/12014/01/2019-20]

RAJESH GUPTA, Director